कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

//आदेश//

कमांक–......21....../दो–05–04/2021 राजगढ़, दिनांक–...11.../01/2022

जिला न्यायालय राजगढ़ में चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक एवं माली) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों की सीधी भर्ती (माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी विज्ञापन कमांक 120/परीक्षा/2021, दिनांक–26.10.2021) हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की दिनांक–15/01/2022, 16/01/2022 एवं 17/01/2022 नियत की गई थी।

वर्तमान में कोरोना–19 महामारी के डेल्टा एवं ओमीकान वैरिएंट के अत्यधिक तीव्रता से फैलते संकमण के फलस्वरूप जिला न्यायालय राजगढ़ में चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक एवं माली) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 15/01/2022 से 17/01/2022 तक की अवधि में आयोजित साक्षात्कार, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोद्य (न्यायिक जिला राजगढ़) की सहमति एवं निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किये जाते हैं।

सही/–
ए0के0 भाटिया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

कमांक–......55...../दो–05–04/2021 राजगढ, दिनांक–...11.../01/2022

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोद्य (न्यायिक जिला राजगढ़) म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर की ओर माननीय महोद्य के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (परीक्षा) म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 15.01.2022 से 17.01.2022 के साक्षात्कार स्थगन की सूचना अभ्यर्थियों को एस.एम.एस./ई–मेल के माध्यम से अविलंब देवें।
4. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, राजगढ़ की ओर जिला न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने बाबत् प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, राजगढ़/नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, राजगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, राजगढ की ओर इस निर्देश के साथ आदेश की प्रति प्रेषित है कि साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।

11/01/2022

ए0के0 भाटिया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0